



Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरमंगा हाउस, रांची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No.1703754 /महाप्रबन्धक(का.-अधि.स्था.)/पद-स्थापना/ई.एंड एम./2024/11026-56

दिनांक- 29 /11/2024

कार्यालय आदेश

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(ii)/52036/B-785 dated 18.09.2024, के द्वारा श्री अंकुर कुमार (Ankur Kumar), (90387838), सहायक-प्रबंधक (ई एंड एम)/ई 3 ग्रेड, को बीसीसीएल से सीसीएल में उनकी मौजूदा क्षमता/ग्रेड में स्थानांतरित कर दिया गया है और सी.वी. क्षेत्र, बीसीसीएल के आदेश संख्या BCCL/XII/CV/Asst.Mgr(P)/2024/1675 dated 15.11.2024 के द्वारा उन्हे दिनांक 16.11.2024 (A/N) से अपने कार्यस्थल से विरमित किया गया है। श्री अंकुर कुमार दिनांक 18.11.2024(A/N) को सीसीएल मुख्यालय, रांची में योगदान दिये है एतद्वारा श्री अंकुर कुमार को सीएचपी-सीपीपी, पिपरवार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया है।

श्री अंकुर कुमार को सलाह दी जाती है कि वे महाप्रबंधक, पिपरवार क्षेत्र को आगे के कार्य के लिए रिपोर्ट करें।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

श्री अंकुर कुमार ने 18.11.2024 से 29.11.2024 तक अधिकारी स्थापना विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। (रविवार दिन को छोड़ कर)

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जाता है।

निधि खलखो
29/11/24
(निधि खलखो)
उप-प्रबंधक(का.-अधि. स्था.)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक(वित्त)/निदेशक(कार्मिक)/निदेशक(तकनीकी/संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, रांची।
2. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
3. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक(कार्मिक- अधि. स्था.), बीसीसीएल धनबाद।
5. महाप्रबंधक, पिपरवार क्षेत्र।
6. महाप्रबंधक (ई. एंड एम.)/(प्रणाली)/(सतर्कता)/(अधि. स्था.)/(प्रशासन)/(एचआरडी)/(वित्त), सीसीएल, रांची।
7. क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक/अमला अधिकारी (कार्मिक), पिपरवार क्षेत्र।
8. मुख्य प्रबंधक/ उप. प्रबंधक (वित्त - ईपीआर)/(स्था.), सीसीएल, रांची।
9. उप-प्रबंधक/प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)/, सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
10. उप-प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
11. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. संबंधित अधिकारी।
13. व्यक्तिगत फ़ाइल।